| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|
| 6-2-20 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया शामिल पत्रावली किया गया बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 27-2-20 को पेश हो। | |
| 27.02.2020 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्राथी व अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खाते की भूमि चक 1 एम.ओ.डी. पटवार इल्का मक्कासर के खाता सख्या 9/6 की कुल 3.251 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि में से पत्थर नम्बर 98/258 (57) के किला नम्बर 16 मे एक बिस्वा रास्ता स्वीकृती हेतु निवेदन किया है।<br>अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है, कि पक्षकारान के मध्य खाता बिभाजन का वाद औमप्रकाश आदि बनाम गुखराम वाद संख्या 131/2014 विचाराधीन है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकारी नही है।<br>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पक्षकारान के मध्य एक अन्य खाता विभाजन का वाद औमप्रकाश आदि बनाम गुखराम वाद संख्या 131/2014 विचाराधीन है, जो वर्तमान में प्रार्थना पत्र बहस विचाराधीन है।<br>प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेख का अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि में से प्रार्थी द्वारा अपनें ही सहखातेदार से रास्ते की मांग की गई है।<br>चुंकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। क्योंकि संयुक्त खाते में प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इन्च पर अपनें हिस्सा अनुसार ही हिस्सेदारी होती है। इस कारण किसी भी किला विशेष पर किसी एक काश्तकार का कब्जा नही माना जा सकता।<br>यदि किसी सहकाश्तकार को किला विशेष के लिये पृथक से यदि रास्ता स्वीकृत करवाया जाना हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के तहत रास्ते, खाले की सुविधा प्राप्त करनें का अधिकारी है। जिसके सन्दर्भ में उभयपक्ष के मध्य वर्तमान में वाद विचाराधीन है। इस कारण प्रार्थी अपनें सहखातेदारान से संयुक्त खाते की भूमि में से किला विशेष हेतु किला विशेष में से रास्ता की मांग करनें का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अधिनियम अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होनें से खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी एवम् | |

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.03.05 15:58:30 IST
Reason: SelfAttested